रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012025-260139
CG-DL-E-10012025-260139

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2025/पौष 20, 1946
No. 186] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2025/PAUSHA 20, 1946

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2025

का.आ. 188(अ).—जबकि मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, आवेदक आवेदक ने जिसका रजिस्टर्ड ऑफ़िस एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 पर स्थित है, ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है, जो कि ट्रांसमिशन योजना "मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को जामजोधपुर, जामनगर, गुजरात में 500 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी" में शामिल है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी फाइल संख्या 25-17/41/2024-पीजी दिनांक 29.04.2024 के माध्यम से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के तहत समर्पित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था, जिसे ट्रांसमिशन योजना “जामजोधपुर, जामनगर, गुजरात में 500 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को कनेक्टिविटी” में शामिल किया गया था।

मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी में) दिनांक 14.05.2024 और दैनिक भास्कर (हिंदी में) दिनांक 14.05.2024 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 31.08.2024 में ट्रांसमिशन योजना के लिए नोटिस प्रकाशित किया था, ताकि आम जनता प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर

प्रस्तावित ट्रांसमिशन रूट पर टिप्पणियां/ प्रतिनिधित्व कर सके। इसके बाद, मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 09.11.2024 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया है जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर कोई टिप्पणी/प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत, जामजोधपुर, जामनगर, गुजरात में मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की 500 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी ट्रांसमिशन योजना के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइनें हैं:

गुजरात के जामजोधपुर में 500 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु समर्पित ट्रांसमिशन लाइन (डीटीएल) :

- पीएसएस-01 से कॉमन पॉइंट तक डी/सी टावर पर 220 केवी एस/सी लाइन
- पीएसएस-02 से कॉमन पॉइंट तक डी/सी टावर पर 220 केवी एस/सी लाइन
- कॉमन पॉइंट से जाम खम्भलिया पीएस तक डी/सी टावर पर 220 केवी डी/सी लाइन

उपरोक्त योजना के अंतर्गत शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन गुजरात के निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, उनके ऊपर, चारों ओर और उनके बीच से गुज़रेगी:

गांव	तहसील	जिला
भट्टगाम, कोलवा, कंडोरना, बजाणा, आंबरडी देवलिया	खंभालिया	देवभूमि द्वारका
आंबरडी भूपत, आंबरडी जाम, भामथ्या, गढ़कड़ा, पीपर नवी, घुंडा कोठाविरडी, वेरावल	जामजोधपुर	जामनगर
भणगोर, धरमपुर, गोवाणा, सनोसरा, टेभडा	लालपुर	जामनगर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद,विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को उपर्युक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए सभी शक्तियां प्रदान करता है, जो कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित टेलीग्राफ के प्रयोजनों के लिए टेलीग्राफ लाइनें और पोस्ट लगाने के संबंध में होती हैं। उपर्युक्त लाइन को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन स्थापित या बनाए रखा जाना है, अर्थात:

i. अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन के निर्माण से पहले संबंधित प्राधिकरणों अर्थात स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों आदि की सहमति लेनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत बनाए गए पारेषण, ओ एंड एम, निर्बाध अभिगम आदि के संबंध में उपयुक्त आयोग के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केन्द्रीय सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के बाद लाइन का प्रचालन करेगा।

v. अनुमोदन, आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुपालन के अध्यधीन है।

vi. एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय नागरिक विमानन, रक्षा आदि जैसे संबंधित प्राधिकरणों से अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होगी।

vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ हिस्सा) का मार्ग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है, तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना होगा, (ग) इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सूचित किया गया है।

[फा. सं. 25-16/1/2025-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 6th January, 2025

S.O. 188(E).—Whereas M/s NTPC Renewable Energy Limited, the applicant with its registered office at NTPC Bhawan, Scope Complex, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi - 110003, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of dedicated overhead transmission line included in the transmission scheme "Connectivity to M/s NTPC Renewable Energy Limited for its 500 MW Wind Power Project at Jamjodhpur, Jamnagar, Gujarat".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its File No. 25-17/41/2024-PG dated 29.04.2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of dedicated overhead transmission line included in the transmission scheme "Connectivity to M/s NTPC Renewable Energy Limited for its 500 MW Wind Power Project at Jamjodhpur, Jamnagar, Gujarat".

M/s NTPC Renewable Energy Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The Times of India (in English) dated 14.05.2024 & Dainik Bhaskar (in Hindi) dated 14.05.2024, and in Weekly Gazette of India dated 31.08.2024 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s NTPC Renewable Energy Limited has submitted an affidavit dated 09.11.2024 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of dedicated overhead transmission line for transmission scheme "Connectivity to M/s NTPC Renewable Energy Limited for its 500 MW Wind Power Project at Jamjodhpur, Jamnagar, Gujarat". The following overhead transmission line is covered under this scheme:

Dedicated Transmission Line (DTL) for providing connectivity for its 500 MW Wind Power Project at Jamjodhpur, Gujarat

- 220 kV S/c Line on D/c tower from PSS-01 to Common point
- 220 kV S/c Line on D/c tower from PSS-02 to Common point
- 220 kV D/c line on D/c tower from Common point to Jam Khambhaliya PS

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Gujarat:

Villages	Tehsil	District
Bhathgam, Kolva, Kandorna, Bajana, Ambardi Devalia	Khambhalia	Devbhoomi Dwarka
Ambardi Bhupat, Ambardi Jam, Bamathya, Gadhakda, Pipar Navi, Ghunda, Kothavirdi, Veraval	Jamjodhpur	Jamnagar
Bhangor, Dharampur, Govana, Sanosara, Tebhda	Lalpur	Jamnagar

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s NTPC Renewable Energy Limited for laying above overhead transmission line,

which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s NTPC Renewable Energy Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) potential zone (or priority zone), the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/1/2025-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.01.10 22:10:51 +05'30'